



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 13.04.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ थाना मरका पुलिस द्वारा महिला पर अवैध तमंचे से फायर कर घायल करने वाले हिस्ट्रीशीटर सहित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

विवरण - पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी बबेरु श्री सौरभ सिंह निकट पर्यवेक्षण में थाना मरका पुलिस द्वारा महिला पर अवैध तमंचे से फायर कर घायल करने वाले 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि दिनांक 10.04.2026 की रात्रि को थाना मरका क्षेत्र के ग्राम अरमार में पुरानी रंजिश के चलते एक महिला के ऊपर अवैध तमंचे से फायर कर घायल कर दिया गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना मरका में अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में थाना मरका पुलिस द्वारा आज दिनांक 13.04.2026 को 02 अभियुक्तों को ग्राम अरमार से गिरफ्तार किया गया। बता दें कि अभियुक्त कृष्णदत्त मुखिया थाना मरका एक शातिर हिस्ट्रीशीटर अपराधी हैं जिस पर मारपीट, धोखाधड़ी, गुण्डा एक्ट सहित एक दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. कृष्णदत्त उर्फ मुखिया पुत्र मथुरा प्रसाद निवासी अरमार थाना मरका जनपद बांदा।
2. जितेन्द्र पुत्र श्याम बिहारी निवासी अरमार थाना मरका जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 41/26 धारा 109/352/351(3) बीएनएस व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना मरका जनपद बांदा।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त कृष्णदत्त उपर्युक्त-

1. मु0अ0सं0- 40/80 धारा 366/120B भादवि थाना मरका जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0-252/96 धारा 323/504/506 भादवि व 3(1)10 SC/ST ACT थाना मरका जनपद बांदा।
3. मु0अ0सं0-256/96 धारा 406/420/506 भादवि थाना मरका जनपद बांदा।
4. मु0अ0सं0- 27/97 धारा 448 भादवि व 3(2)5 SC/ST ACT थाना मरका जनपद बांदा।
5. मु0अ0सं0-36/05 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मरका जनपद बांदा।
6. मु0अ0सं0-124/17 धारा 147/427/504/506 भादवि थाना मरका जनपद बांदा।
7. मु0अ0सं0-123/97 धारा 17/18 उ0प्र0 बन्धित श्रम अधि0 थाना मरका जनपद बांदा।
8. मु0अ0सं0-288/96 धारा 3 यूपी गुण्डा एक्ट थाना मरका जनपद बांदा।

9. मु0अ0सं0-70/99 धारा 3 यूपी गुण्डा एक्ट थाना मरका जनपद बांदा ।
10. मु0अ0सं0-63/05 धारा 110 G सीआरपीसी थाना मरका जनपद बांदा ।
11. मु0अ0सं0- 130/09 धारा 3 यूपी गुण्डा एक्ट थाना मरका जनपद बांदा ।
12. मु0अ0सं0-132/25 धारा 69/127(2)/351(3) बीएनएस थाना मरका जनपद बांदा ।
13. मु0अ0सं0-72/23 धारा 323/504/506 भादवि थाना मरका जनपद बांदा ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. श्री मिथिलेश कुमार सिंह प्र0नि0 थाना मरका
2. कां0 विनोद कुमार यादव
3. कां0 कृष्ण कुमार
4. म0कां0 शान्ति यादव